राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963PLC003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसरः जिला-श्रीगंगानगर(राज.)
रजिस्टर्ड कार्यालयः-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्रांक के.रा.फा./जैत/कृषि/10–9/भाग–3(कटाई)/2022–23 दिनांकः 07.03.2023

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला-श्रीगंगानगर(राज.) पर रबी 2022-23 के दौरान बिजाई की गई, जिसमे चना **320.50** एकड, पालक **48.00** एकड, मूली **4.00** एकड व धनिया **38.00** एकड मे बोई गई फसलों की कटाई व गहाई से संबंधित सभी कार्यो हेतु फसलवार चकवार सीलबंद निविदायें दिनांक 16.03.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष उसी दिन दोपहर 2.30 बजे खोली जायेगी। उपर्युक्त कार्य के लिए प्रति चक प्रति फसल के लिए अलग-अलग धरोहर राशि 5,000/-(अखरे रुपये पाँच हजार मात्र्) का डिमाण्ड ड्राफट अथवा Online Transfer (NEFT/ RTGS) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर, जो कि भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला पर देय हो अथवा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के खाते **(IFSC कोड नम्बर SBIN0008251,खाता संख्याः 4153 2435 884)** मे जमा करवाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की नगद राशि जमा नही करवाई जा सकती। निविदा संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस मे प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक फार्म के कृषि अनुभाग से व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांकः 16.03.2023 तक दोपहर 12:45 बजे तक ही किया जायेगा। निविदा प्रपत्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक व रुपये 236.00/(Tander fee 200 + 18% GST) का डिमाण्ड ड्राफ्ट Online Transfer (NEFT/ RTGS) के द्वारा जमा करने के उपरान्त प्राप्त किया जा सकता है।

कृते फार्म प्रमुख

निविदा–प्रपत्र

सेवा में

श्रीमान् निदेशक महोदय,

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

महोदय,

आपके कार्यालय से जारी निविदा सूचना क्रमांकः के.रा.फा./जैत./कृषि/10–9/(कटाई)/2022–23/ दिनांकः 07.03.2023 के क्रम में मैने आपकी निर्धारित नियम व शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मुझे स्वीकार है। इस बाबत प्रस्तावित दरें प्रति एकड़ निम्नानुसार है। मै नियम व शतो के अनुसार समस्त कार्य पूरा करने के उपरान्त नीरा–गुणा /पल्लर लूंगा ।

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा–गुणा/पल्लर लूंगा एंव प्रस्तावित दर रूपये प्रति एकड़ रूपयें	
				पैसा फार्म को दूँगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूगा।	पैसा फार्म से लूगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूगा।
चना	1	3 BGD	31.00		
		1 BGD-A	27.00		
Total			**58.00**		
चना	2	4 MGM pivot, IWM-II pivot-A, 6 MGM	93.50		
		2,3 MGM Pivot, 3 MGM	29.00		
Total			**122.50**		
चना	3	1-5 MGM	25.00		
		5-7 SAD	16.00		
		IWM-I	42.00		
		9-10 SAD	57.00		
Total			**140.00**		
G. Total			**320.50**		

नोटः– उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढाया भी जा सकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि मुझे कायादेश जारी करने का श्रम करें। मै निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार कार्य समय पर पूरा कर दूँगा।

भवदीय

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पिता का नाम ....

पता ....

मोबाईल नं0..

पेन नम्बर..

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्ते
(चना व अन्य फसलों के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक प्रत्येक फसल के लिए रू0 5000/ – (रू0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड–ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक बाजूवाला पर देय हो अथवा निगम के खाते मे Online Transfer (NEFT/ RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। **IFSC कोड नम्बर SBIN0008251,खाता संख्याः 4153 2435 884)** प्रत्येक चक की निविदा अलग–अलग चकवार व फसलवार करवाई जायेगी।
2. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था मे आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
3. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर बडे–बडे ढेर/मण्डली लगाना। ढेर/मण्डली के स्थान की सफाई करके ही ढेर/मण्डली लगानी है। ठेकेदार को फार्म द्वारा उपलब्ध कम्बाईन से अपने मजदूर लगाकर गहाई व खलिहान सफाई का कार्य करना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
4. यदि ठेकेदार निविदा प्रति एकड़ राशी जमा कर फसल की कटाई/गहाई कार्य पल्लर/निरागुणा ले जाने के अधार पर दर देता है तो निविदा स्वीकृत होते ही तुरन्त समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर कार्य आदश जारी किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी। ठेकेदार को अपने स्वंय के प्रर्याप्त लेबर व थ्रेसर की व्यवस्था समय पर करनी होगी।
5. कटाई व गहाई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने एवं मुरब्बे की पूरी तरह से थसिंग होने के बाद ही नीरा/पल्लर दाना रहित होने पर ही उठाने की अनुमति दी जायेगी।
6. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख–रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा।
7. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूडी, नीरा, पल्लर सात दिन मे हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूडी पल्लर को जला दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलां को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुॅचाया जाता है अथवा ठेकेदार कार्य करने में विलम्ब करता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा धन राशि, धरोहर राशी एवं अन्य देयराशी व तूडी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
9. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल /भरपाई किया जायेगा। तथा उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. यदि कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष–सह–निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं/ पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
11. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल किया जायेगा। तथा भविष्य में उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
12. स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत उसे 100/– रूपए के गैर न्यायिक स्टाम पेपर अनुबंधन हेतु इस कार्यालय को पस्तुत करना होगा। इसके उपरांत स्वीकृति आदेश जारी कीया जायेगा।
13. ARBITRATION

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion.Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision.The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा–प्रपत्र

सेवा में

श्रीमान् निदेशक महोदय,
केन्द्रोय राज्य फार्म, जैतसर

महोदय,

आपके कार्यालय से जारी निविदा सूचना क्रमांकः के.रा.फा./जैत./कृषि/10–9/(कटाई)/2022–23/ दिनांकः 07.03.2023 के क्रम में मैने आपकी निर्धारित नियम व शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मुझे स्वीकार है। इस बाबत प्रस्तावित दरें प्रति एकड़ निम्नानुसार ह। मै नियम व शर्तो के अनुसार समस्त कार्य पूरा करने के उपरान्त नीरा–गुणा /पल्लर लूंगा ।

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा–गुणा/पल्लर लूंगा एंव प्रस्तावित दर रूपये प्रति एकड़ रूपयें	
				पैसा फार्म को दूगाँ, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूगा।	पैसा फार्म से लूगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूगा।
मूली	2	EPO	3.00		
	3	IWM-I	1.00		
Total			**4.00**		

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा–गुणा/पल्लर लूंगा एंव प्रस्तावित दर रूपये प्रति एकड़ रूपयें	
				पैसा फार्म को दूगाँ, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूगा।	पैसा फार्म से लूगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूगा।
पालक	3	IWM-I	34.00		
		1-5 MGM	14.00		
Total			**48.00**		

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा–गुणा/पल्लर लूंगा एंव प्रस्तावित दर रूपये प्रति एकड़ रूपयें	
				पैसा फार्म को दूगाँ, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूगा।	पैसा फार्म से लूगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूगा।
धनिया	3	3 BGD	10.00		
		1 BGD-A	28.00		
Total			**38.00**		

नोटः– उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढाया भी जा सकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि मुझे कायादेश जारी करने का श्रम करें। मै निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार कार्य समय पर पूरा कर दूँगा।

भवदीय

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता का नाम ....
पता ....
मोबाईल नं0...
पेन नम्बर..

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्ते
(सब्जी वाली फसलों के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक प्रत्येक फसल के लिए रू0 5000/ – (रू0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड–ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक बाजूवाला पर देय हो अथवा निगम के खाते मे Online Transfer (NEFT/ RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। **IFSC कोड नम्बर SBIN0008251,खाता संख्याः 4153 2435 884)** प्रत्येक चक की निविदा अलग–अलग चकवार व फसलवार करवाई जायेगी।
2. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था मे आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
3. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर बडे–बडे ढेर/मण्डली लगाना। ढेर/मण्डली के स्थान की सफाई करके ही ढेर/मण्डली लगानी है। ठेकेदार को फार्म द्वारा उपलब्ध कम्बाईन से अपने मजदूर लगाकर गहाई व खलिहान सफाई का कार्य करना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
4. यदि ठेकेदार निविदा प्रति एकड़ राशी जमा कर फसल की कटाई/गहाई कार्य पल्लर/निरागुणा ले जाने के अधार पर दर देता है तो निविदा स्वीकृत होते ही तुरन्त समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर कार्य आदश जारी किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी। ठेकेदार को अपने स्वंय के प्रर्याप्त लेबर व थ्रेसर की व्यवस्था समय पर करनी होगी।
5. कटाई व गहाई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने एवं मुरब्बे की पूरी तरह से थसिंग होने के बाद ही नीरा/पल्लर दाना रहित होने पर ही उठाने की अनुमति दी जायेगी।
6. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख–रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा।
7. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूडी, नीरा, पल्लर सात दिन मे हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूडी पल्लर को जला दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलां को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुॅंचाया जाता है अथवा ठेकेदार कार्य करने में विलम्ब करता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा धन राशि, धरोहर राशी एवं अन्य देयराशी व तूडी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
9. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल /भरपाई किया जायेगा। तथा उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. यदि कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष–सह–निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं/ पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
11. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल किया जायेगा। तथा भविष्य में उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
12. स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत उसे 100/– रूपए के गैर न्यायिक स्टाम पेपर अनुबंधन हेतु इस कार्यालय को पस्तुत करना होगा। इसके उपरांत स्वीकृति आदेश जारी कीया जायेगा।
13. ARBITRATION

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion.Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision.The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

निविदादाता के हस्ताक्षर